प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–07.07.2023 (सं0–337)

मोतिहारी तथा नालन्दा में जहरीली शराब के सेवन से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान (मुआवजा) दिये जाने के सम्बन्ध में।

मोतिहारी

- दिनांक–14/15.04.2023 को पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला अन्तर्गत हरसिद्धि, सुगौली, पहाड़पुर, तुरकौलिया एवं रघुनाथपुर थाना क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गयी।
- इस सम्बन्ध में निम्नलिखित काण्ड अंकित किये गयें।

i. तुरकौलिया थाना काण्ड सं0–457/23, दिनांक–14.04.2023, धारा–304/504/506 भा0द0वि0।

ii. पहाड़पुर थाना काण्ड सं0–136/23, दिनांक–15.04.2023, धारा–304/308/328 /201 /34 भा0द0वि0 विरुद्ध अज्ञात।

iii. हरसिद्धि थाना काण्ड सं0–249/23, दिनांक–15.04.23, धारा–304/308/328 /201 /34 भा0द0वि0 विरुद्ध अज्ञात।

iv. सुगौली थाना काण्ड सं0–141/23, दिनांक–15.04.23, धारा–304/308/328/ 201 /34 भा0द0वि0 विरुद्ध अज्ञात।

v. तुरकौलिया (रघुनाथपुर ओ0पी0) थाना काण्ड सं0–465/23, दिनांक–16.04.2023, धारा–304/328/201/34 भा0द0वि0।

- इन काण्डों में मृत व्यक्तियों के अन्त्यपरीक्षण रिपोर्ट, चिकित्सीय रिपोर्ट तथा एफ0एस0एल0 से प्राप्त वेसरा रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया कि इन काण्डों में मृत व्यक्तियों की मृत्यु जहरीली शराब के सेवन से हुई है।

- 41 मृतकों के परिजनों/आश्रितों को 4–4 लाख रुपये अर्थात 01 करोड़ 64 लाख रुपयों के मुआवजे के भुगतान हेतु रिपोर्ट जिला प्रशासन के द्वारा तैयार कर ली गई है, शीघ्र ही मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

नालन्दा

- दिनांक–15.01.2022 को नालन्दा जिला के सोहसराय थानान्तर्गत बड़ी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, मंसूर नगर, श्रृंगारहाट इत्यादि मुहल्ले में जहरीली शराब के सेवन से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी।
- इस सम्बन्ध में सोहसराय थाना काण्ड सं0–23/22, दिनांक–15.01.2023, धारा–302/328/120(बी) भा0द0वि0 अंकित किया गया।
- काण्ड में मृत व्यक्तियों के अन्त्यपरीक्षण रिपोर्ट, चिकित्सीय रिपोर्ट तथा एफ0एस0एल0 से प्राप्त वेसरा रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया कि इन काण्डों में मृत व्यक्तियों की मृत्यु जहरीली शराब के सेवन से हुई है।
- 12 मृतकों के परिजनों/आश्रितों को 4–4 लाख रुपये अर्थात 48 लाख रुपयों के मुआवजे के भुगतान हेतु रिपोर्ट जिला प्रशासन के द्वारा तैयार कर ली गई है, शीघ्र ही मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

xxxxxxxxx